



प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)

प्रलिस के ललल:

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY), ज़ीरो प्रीमलडड, सब्सडलड, फसल बीमा

डेनू के ललल:

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सरकारी नीतलडलँ और हसूतकषेप

करूकल डें करूँ?

वरूष 2019-20 डें फसल बीमा योजना से डलर नकललने के डलड आंधूर प्रदेश सरकार हलल ही डें [प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना \(PMFBY\)](#) डें फरल से शलडललल हो गई है ।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY):

डरकलडड:

- PMFBY को वरूष 2016 डें लॉनूक कलडल गलडल तथल डसे कृषल और कसललन कलूडलण डंतुरललड डवलरल प्रशलसतल कलडल ऑरल है ।
- डसने **रलषूटुरी कृषल बीडल डोजना (NAIS)** और संशुधतल **रलषूटुरी कृषल बीडल डोजना (MNAIS)** को परवलरूततल कर डलडल ।

डलतूरतल:

- अधसूकलतल कषेतूरूँ डें अधसूकलतल फसल उगलने वलले डटूदेडलर/ऑतडलर कसललनूँ सहतल सडुडल कसललन कवररेऑ के ललडल डलतूर है ।

उददेशूडड:

- डुरलकृतकल आडडलऑूँ, कलडूँ और रूगूँ डल कसलल डी तरह से फसल के खरलड होने कल सूथतलडल डें एक वूडलडक बीडल कवर डुरडलन करनल तलकल कसललनूँ कल आडू को सूथरल करनने डें डदड डलल सके ।
- खेती डें नरलरतरतल सुनशूकलतल करनने के ललडल कसललनूँ कल आडू को सूथरल करनल ।
- कसललनूँ को नवलन और आधूनकल कृषल डदधतलडलँ को अडनलने के ललडल डुरूतसलहतल करनल ।
- कृषल कषेतूर के ललडल ःण कल डुरवलह सुनशूकलतल करनल ।

बीडल कसलतः

- डस डोजना के तहत कसललनूँ डवलरल डी ऑलने वलली नरलधलरतल बीडल कसलत/डुरीडडलडड- खरलड कल सडुडल फसलूँ के ललडल 2% और सडुडल रडुी फसलूँ के ललडल 1.5% है ।
- वलरूषकल वलणऑलडकल तथल डलगवलनी फसलूँ के डलडले डें बीडल कसलत 5% है ।
- कसललनूँ डवलरल डुगतलन कल ऑलने वलली डुरीडडलडड डरें डहुत कड है और डुरलकृतकल आडडलऑूँ के करलण फसल के नुकसलन के खलललड कसललनूँ को डुरी बीडल रलशल डुरडलन करनने के ललडल शूष डुरीडडलडड कल डुगतलन सरकार डवलरल कलडल ऑलणल ।
- सरकलरल सब्सडलड कल कूडूँ ऊडुरी सीडल नहलँ है । डदल शूष डुरीडडलडड 90% है, तू डी वलह सरकार डवलरल वहन कलडल ऑलणल ।
 - डससे डहले डुरीडडलडड डर को सीडतल करनने कल डुरलवधलन थल ऑसलके डरणलडसवरूड कसललनूँ को डलवूँ कल कड डुगतलन कलडल ऑलणल थल ।
 - डलह कूषणल डुरीडडलडड सब्सडलडड डर सरकार के खरूक को सीडतल करनने के ललडल कलडल गलडल थल ।
 - डस सीडल को अब हूडल डलडल गलडल है और कसललनूँ को डनल कसलल कडूँती के डुरी बीडल रलशल ।

PMFBY के तहत तकनीक कल डुरडूणः

फसल बीडल ँडः

- डलह कसललनूँ को आसलन नलडलंकन कल सुवधल डुरडलन करतल है ।
- कसलल डी ऑडनल के ऑडतल होने के 72 ऑडूँ के डीतर फसल के नुकसलन कल आसलन रडूडरूडलडड कल सुवधल ।

- नवलनतड तकनीकल उडकरणः** फसल के नुकसलन कल आकलन करनने के ललडल सैटेललडूड डडेऑरल, रडूडूड-सेंसलडल तकनीक, डूरूडन, कृतूरडल डुदधडलतूतल और डशीन लरूणल कल उडडूण कलडल ऑलणल है ।


- PMFBY डूरूडलडडः** डुडलरलकलरूड के ँकलकरण के ललडल PMFBY डूरूडलडड कल शुरुआत कल गई है ।

हलल ही डें हुड डदडलवः

- डलह डोजना डहले ःणल कसललनूँ के ललडल अनवलरूड थल, लेकनल वरूष 2020 डें केंडूर सरकार ने डसे सडुडल कसललनूँ के ललडल वैकलडकल डनल डलडल

है।

- पहले बर्मांकित प्रीमियम दर और किसान द्वारा देय बीमा प्रीमियम दर के बीच के अंतर सहित औसत प्रीमियम सब्सिडी की दर राज्य तथा केंद्र द्वारा साझा की जाती थी एवं राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अपने बजट से औसत सब्सिडी के अलावा अतिरिक्त सब्सिडी का वसूला करने के लिये स्वतंत्र थे।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना के तहत **गैर-सचिती क्षेत्रों/फसलों के लिये बीमा कसित की दरों पर केंद्र सरकार की हसिसेदारी को 30% और सचिती क्षेत्रों/फसलों के लिये 25%** तक सीमाति करने का नरिणय लिया है। पहले, केंद्रीय सब्सिडी की कोई ऊपरी सीमा नरिधारति नहीं थी।



PMFBY से संबंधित मुद्दे:

- **राज्यों की वित्तीय बाधाएँ:** राज्य सरकारों की वित्तीय बाधाएँ और सामान्य मौसम के दौरान कम दावा अनुपात इन राज्यों द्वारा योजना को लागू न करने के प्रमुख कारण हैं।
 - राज्य ऐसी स्थिति से निपटने में असमर्थ हैं जहाँ बीमा कंपनियों किसानों को राज्यों और केंद्र से एकत्र किये गए प्रीमियम दर से कम मुआवज़ा देती हैं।
 - राज्य सरकारें समय पर धनराशि जारी करने में विफल रही हैं जिसके कारण बीमा क्षतिपूर्ति जारी करने में देरी हुई है।
 - इससे किसान समुदाय को समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाता है।
- **दावा निपटान संबंधी मुद्दे:** कई किसान मुआवज़े के स्तर और निपटान में देरी दोनों से असंतुष्ट हैं।
 - ऐसे में बीमा कंपनियों की भूमिका और शक्ति अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि कई मामलों में उन्होंने स्थानीय आपदा के कारण हुए नुकसान की जाँच नहीं की जिस कारण दावों का भुगतान नहीं किया गया।
- **कार्यान्वयन के मुद्दे:** बीमा कंपनियों द्वारा उन समूहों के लिये बोली लगाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गई है जो फसल के नुकसान से प्रभावित हो सकते हैं।
 - बीमा कंपनियों अपनी प्रकृति के अनुसार यह कोशिश करती हैं कि फसल कम खराब हो तो मुनाफा कमाया जाए।

आगे की राह

- इस योजना से संबंधित सभी लंबित मुद्दों को हल करने के लिये राज्यों और केंद्र सरकार के बीच व्यापक पुनर्विचार की आवश्यकता है ताकि किसानों को इस योजना का लाभ मिल सके।
- इसके अलावा इस योजना के तहत सब्सिडी का भुगतान करने के बजाय राज्य सरकार को उस पैसे को एक नए बीमा मॉडल में निवेश करना चाहिये।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्षों के प्रश्न:

प्रश्न: 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2016)

1. इस योजना के तहत किसानों को वर्ष के किसी भी मौसम में खेती की जाने वाली किसी भी फसल के लिये दो प्रतिशत का एक समान प्रीमियम का भुगतान करना होगा।

2. इस योजना में चक्रवातों और बेमौसम बारिश तथा फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को शामिल किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: B

व्याख्या:

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई फसल बीमा योजना है। इसमें प्राकृतिक आपदाओं (चक्रवात और बेमौसम बारिश), कीटों एवं बीमारियों से फसल कटाई से पूर्व तथा बाद के नुकसान को शामिल किया गया है। अतः कथन 2 सही है।
- प्रमुख बंदि
 - सभी खरीफ फसलों के लिये किसानों द्वारा केवल 2% और सभी रबी फसलों के लिये 1.5% का एक समान प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। अतः कथन 1 सही नहीं है।
 - वार्षिक वाणजियिक और बागवानी फसलों के लिये 5% प्रीमियम का भुगतान किया जाना है।
 - किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम दरें बहुत कम हैं और शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा।
 - सरकारी सब्सिडी की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। यद्यपि प्रीमियम 90% है, तो भी वह सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
 - प्रीमियम की सीमा अब हटा दी गई है और किसानों को बिना किसी कटौती के पूरी बीमा राशिका भुगतान किया जाएगा।
 - प्रौद्योगिकी के उपयोग को काफी हद तक प्रोत्साहित किया जाता है। किसानों को दावा भुगतान में देरी को कम करने के लिये फसल कटाई के डेटा का एकत्रण और अपलोड करने के लिये स्मार्टफोन का उपयोग किया जाएगा। फसल काटने के प्रयोगों की संख्या को कम करने के लिये रिमोट सेंसिंग का उपयोग किया जाएगा। अतः विकल्प (b) सही है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/pradhan-mantri-fasal-bima-yojana-pmfby>

